रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 50] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 4, 2010/माघ 15, 1931
No. 50] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 4, 2010/MAGHA 15, 1931

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2010

सा.का.नि. 58(अ).—राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2007 (2007 का 29) (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) के अध्याय III के खंड 30 के उप-खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने भारत के राजपत्र में दिनांक 17 अप्रैल, 2008 की अधिसूचना संख्या का.आ. 893(अ) द्वारा अधिनियम की अनुसूची के कॉलम (3) में उल्लिखित सभी संस्थानों के लिए 'परिषद्' की स्थापना की ।

2. अधिनियम के अध्याय III के खंड 30 के उप-खंड (2) का (i) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के विजीटर के रूप में भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एन.आई.टी.) के विजीटर के नामितियों के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों की नियुक्ति करते हैं :

(क) डॉ. आर.ए. मशेलकर (पूर्व डी.जी., सीएसआईआर-नई दिल्ली) सी.एस.आई.आर. भटनागर फैलो, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, डा. होमी भाभा मार्ग, पूना-411008

(ख) प्रो. एम.एस. अनंत, निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास, चेन्नई

(ग) प्रो. प्रेम के कालरा, निदेशक, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राजस्थान

(घ) प्रो. एच.पी. खिंचा, कुलपति, विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बेलगांव, कर्नाटक, और

(ङ) प्रो. स्वप्ना बनर्जी, इलैक्ट्रानिक्स एवं इलैक्ट्रिकल दूरसंचार विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर (महिला नामिति)।

3. अधिनियम के खंड 32 के अनुसार परिषद् निम्नलिखित कार्य करेगी, नामत:

(क) सभी संस्थानों की गतिविधियों का समन्वय करना;

(ख) संस्थान द्वारा प्रदान किए जाने वाले पाठयक्रमों, डिग्रियों और अन्य शैक्षिक कार्यों का अवधि, प्रवेश मानकों तथा अन्य शैक्षिक मामलों से संबंधित मुद्दों पर सलाह देना;

(ग) कैडर, कर्मचारियों की भर्ती के तरीके और सेवा शर्तें, छात्रवृत्ति एवं फ्रीशिप प्रदान करना, शुल्क लगाना और समान हित के अन्य मामलों से संबंधित नीति निर्धारित करना;

(घ) प्रत्येक संस्थान की विकास योजनाओं की जांच करना और उनमें से ऐसी योजनाओं को मंजूर करना जो आवश्यक समझी जाएं तथा ऐसी अनुमोदित योजनाओं के वित्तीय निहितार्थों को विस्तार से प्रस्तुत करना;

(ङ) इस अधिनियम के अंतर्गत विजीटर द्वारा किए जाने वाले किसी कार्य के संबंध में उसे सलाह देना; और

(च) अधिनियम द्वारा अथवा उसके तहत सौंपे गए ऐसे अन्य कार्य करना ।

4. कार्यकाल इत्यादि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार शासित होंगे ।

[फा. सं. एफ. 23-4/2008-टीएस-III (पार्ट)]

एन. के. सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Higher Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2010

G.S.R. 58(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 30 of Chapter III of the National Institutes of Technology Act, 2007 (29 of 2007) (hereinafter referred to as 'Act'), the Central Government *vide* Notification No. S.O. 893(E) dated 17th April, 2008 in the Gazette of India established 'THE COUNCIL' for all the Institutes specified in column (3) of the Schedule of the Act.

2. In exercise of the powers conferred under sub-section (i) of (2) of Section 30 (Chapter III) of the Act, The President of India, as Visitor of all the National Institutes of Technology (NITs), has been pleased to appoint the following persons as Visitor's nominees on the Council of National Institutes of Technology (NITs) :

(a) Dr. R.A. Mashelkar (Former DG, CSIR - New Delhi) CSIR Bhatnagar Fellow, National Chemical Laboratory, Dr. Homi Bhabha Road, Pune - 411 008;

(b) Prof. M.S. Ananth, Director, Indian Institute of Technology Madras, Chennai;

(c) Prof. Prem K. Kalra, Director, Indian Institute of Technology, Rajasthan;

(d) Prof. H.P. Khincha, Vice Chancellor, Visvesvaraya Technological University, Belgaum, Karnataka; and

(e) Prof. Swapna Banerjee, Department of Electronics & Electrical Communications, Indian Institute of Technology, Kharagpur (women nominee).

3. As per Section 32 of the Act, The Council shall discharge the following functions, namely :—

(a) to co-ordinate the activities of all the Institutes;

(b) to advise on matters relating to the duration of the courses, the degrees and other academic distinctions to be conferred by the Institutes, admission standards and other academic matters;

(c) to lay down policy regarding cadres, methods of recruitment and conditions of service of employees, institution of scholarships and freeships, levying of fees and other matters of common interest;

(d) to examine the development plans of each Institute and to approve such of them as are considered necessary and also to indicate broadly the financial implications of such approved plans;

(e) to advise the Visitor, if so required, in respect of any function to be performed by him under the Act; and

(f) to perform such other functions as are assigned to it by or under the Act.

4. The Term of Office etc. will be governed as per the provisions of the Act.

[F. No. F. 23-4/2008-TS. III (Pt.)]

N. K. SINHA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.